



आपके बच्चे के साथ बढ़ने वाला निवेश

एनपीएस वात्सल्य के साथ समय रहते योजना बनाकर आप अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, सुदृढ़ और भरोसेमंद भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं



एनपीएस वात्सल्य क्या है

नाबालिगों के लिए एक दीर्घकालिक बचत योजना, जो प्रारंभिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक है।



सरल अंशदान

केवल ₹250 से शुरुआत; कोई अधिकतम सीमा नहीं; कभी भी अंशदान कर सकते हैं।



वात्सल्य आशीर्वाद

रिश्तेदार और मित्र भी इस खाते में उपहार के रूप में अंशदान दे सकते हैं।



आंशिक निकासी

18 वर्ष की आयु से पहले 2 बार और 18 से 21 वर्ष के बीच 2 बार।



कौन जुड़ सकता है

18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक (एनआरआई/ओसीआई सहित)।



खाता कैसे खोलें

eNPS पर जाएँ या अपने निकटतम पीओपी (बैंक/पेंशन फंड/ब्रोकर/डाकघर) से संपर्क करें।



पेंशन फंड का चयन

अपनी पसंद का कोई भी पेंशन फंड चुनें।



18 वर्ष पूर्ण होने पर

21 वर्ष तक एनपीएस वात्सल्य जारी रख सकते हैं या खाते को एनपीएस में बदल सकते हैं या संचित राशि के साथ निकास कर सकते हैं।

स्कैन करें और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएं



खाता खोलें